न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 341/2022
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

कृष्ण चन्द्र पुत्र साहब राम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
—वादी

बनाम्

1. कैलाश देवी पुत्री साहब राम
2. पुष्पा पुत्री साहब राम
3. सुमन पुत्री साहब राम
4. हिमाशु पुत्र राजीव कुमार
5. शिल्पा चाहर पुत्री राजीव कुमार
6. राजीव कुमार पुत्र मनफुल राम
7. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

समस्त जाति जाट
निवासी नाथवाना
तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ(राज.)

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री राजेश बुडानियां वकील वादीगण
2— श्री परमजीतकौर — वकील प्रति सं. 1 ता 6

दिनांक :— 09.09.2022

निर्णय

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। जो मृतक साहबराम पुत्र रामचन्द्र के जायज वारिसान है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 सगे भाई बहिन है। वादी प्र.सं. 5 व 6 का मामा है व प्रतिवादी सं. 6 वादी का प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के बहनोई है। वादीगण व प्रतिवादी एक ही सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के नाम चक नं. 9 एनटीडब्ल्यू के खाता सं. 13/66 ज.सं. 2073—2076 में 0.253 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चक नं. 6 एमजेडी के खाता सं. 60/40 ज.सं. 2071—2074 में 4.299 है. चक नं. 10 एनटीडब्ल्यू के खाता सं. 17/18 ज.सं. 2073—2076 में 10.897 है. भूमि वादी एव प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम 4/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 4 व 5 की माता व 6 की पत्नी मृतक मीनाक्षी के नाम 1/6 हिस्सा व वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की माता मृतक बनवार देवी 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की विरासतन प्राप्त भूमि है। जो मृतक साहब राम पुत्र रामचन्द्र से प्राप्त हुई है। उक्त खातो की जमाबन्दी सल्गन वाद पत्र है। वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित भूमि में चक नं. 10 एनटीडब्ल्यू के खाता सं. 17/18 ज.सं. 2073—2076 व चक नं. 6 एमजेडी के खाता सं. 60/40 ज.सं. 2071—2074 में वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की माता व प्रतिवादी सं. 4 व 5 की नानी बनवार देवी के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्र.सं. 4 व 5 की माता व 6 की पत्नी मीनाक्षी के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी व प्रतिवादीगण के नाम चक नं. 9 एनटीडब्ल्यू के खाता सं. 13/66 ज.सं. 2073—2076 में 0.253 है. भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की विरासतन प्राप्त भूमि है। उक्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 व

9/9/22
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रतिवादी स. 4 ता 6 ने अपने विरासतन प्राप्त हक व हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष मे कर दिया है। इसलिए वादी बनवार देवी के नाम भूमि मे वादी व प्रतिवादी स. 2 व 3 को बहैस का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी व दावेदार है। प्रतिवादी स. 1 व 4 ता 6 के नाम व मीनाक्षी के नाम दर्ज कृषि भूमि वादी खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी व दावेदार है। वादी ने प्रतिवादी गण से कईबार निवेदन किया है कि वादी को वादपत्र की चरण स. 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड मे अंकन करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करते रहे किन्तु बाद मे पिछले सप्ताह वादी की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है।

अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादी निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावे कि चक नं. 10 एनटीडब्ल्यू के खाता स. 17/18 ज.स. 2073–2076 मे वादी को 4.715 है. व प्रसं. 2 व 3 को 0.725 है. भूमि का व चक न. 6 एमजेडी के खाता स. 60/40 ज सं. 2071–2074 में वादी को 1.863 है. भूमि का व प्रतिवादी सं. 2 व 3 को 0.286 है भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रं. सं. 1 व बनवार देवी व मीनाक्षी का नाम कलमजन किया जावे। इसी प्रकार चक नं. 9 एनटीडब्ल्यू के खाता सं. 13/66 ज.स. 2073–2076 मे वादी को 0.102 है. का खातेदार काश्तकार कर प्रतिवादी सं. 1 व 4 ता 6 का नाम कलमजन किया जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी कृष्ण चन्द्र ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नही करना चाहते है इसलिए साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादीगण ने फार्म नं. 3 के साथ विरासतन साक्ष्य में चक 9 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 13/57 जमाबन्दी व चक 10 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 86/81 जमाबन्दी एवं चक 6 एमजेडी खाता संख्या 63/57 की फोटो प्रतिया पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक नं. 10 एनटीडब्ल्यू के खाता सं. 17/18 जं.सं. 2073–2076 व चक नं. 6 एमजेडी के खाता सं. 60/40 ज.सं. 2071–2074 में वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की माता व प्रतिवादी सं. 4 व 5 की नानी बनवार देवी के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रंसं. 4 व 5 की माता व 6 की पत्नी मीनाक्षी के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी व प्रतिवादीगण के नाम चक नं. 9 एनटीडब्ल्यू के खाता सं. 13/66 जं.सं. 2073–2076 में 0.253 है. भूमि दर्ज है जो हमारी जददी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 9 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 13/57 जमाबन्दी व चक 10 एनटीडब्ल्यू खाता सख्या 86/81 जमाबन्दी एवं चक 6 एमजेडी खाता संख्या 63/57 की फोटो प्रतिया पेश की

9/9/22
सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 सगे भाई बहिन है। वादी प्रं.सं. 5 व 6 का मामा है व प्रतिवादी सं. 6 वादी का प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के बहनोई है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रदर्श 1 ता 2 मे प्रतिवादीगण के नाम है जो चक 9 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 13/57 जमाबन्दी व चक 10 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 86/81 जमाबन्दी एवं चक 6 एमजेडी खाता संख्या 63/57 की जमाबन्दी फोटो प्रतियॉ से साबित है। प्रतिवादीगण 1 ता 6 ने हाजिर आकर सहमति का जवाब दावा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत सहमति के जवाबदावा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा के आधार पर वाद वादी निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :– चक नं. 10 एनटीडब्ल्यू के खाता सं. 17/18 जं.सं. 2073–2076 में वादी को 4.715 है. भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को 0.725 है. भूमि का एव चक नं. 6 एमजेडी के खाता सं. 60/40 जं.सं. 2071–2074 में वादी को 1.863 है. भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 को 0.286 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व बनवार देवी एव मीनाक्षी का नाम कलमजन किया जाता है। इसी प्रकार चक नं. 9 एनटीडब्ल्यू के खाता सं. 13/66 जं.सं. 2073–2076 में वादी को 0.102 है. का खातेदार काश्तकार कर प्रतिवादी सं. 1 व 4 ता 6 का नाम कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/9/21

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 341/2022

कृष्ण चन्द्र पुत्र साहब राम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादी

बनाम्

1. कैलाश देवी पुत्री साहब राम
2. पुष्पा पुत्री साहब राम
3. सुमन पुत्री साहब राम
4. हिमाशु पुत्र राजीव कुमार
5. शिल्पा चाहर पुत्री राजीव कुमार
6. राजीव कुमार पुत्र मनफुल राम
7. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

समस्त जाति जाट
निवासी नाथवाना
तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानिया वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री परमजीतकौर वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक नं. 10 एनटीडब्ल्यू के खाता सं. 17/18 जं.सं. 2073–2076 में वादी को 4.715 है. भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को 0.725 है. भूमि का एव चक नं. 6 एमजेडी के खाता सं. 60/40 जं.सं. 2071–2074 में वादी को 1.863 है. भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 को 0.286 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व बनवार देवी एव मीनाक्षी का नाम कलमजन किया जाता है। इसी प्रकार चक नं. 9 एनटीडब्ल्यू के खाता सं. 13/66 जं.सं. 2073–2076 में वादी को 0.102 है. का खातेदार काश्तकार कर प्रतिवादी सं. 1 व 4 ता 6 का नाम कलमजन किया जाता है।

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज....X....नल....X....मुब्लिक....X....निल....X....बावत्....X....निल.............खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक....X....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 09.09.2022 को जारी किया गया।

9/9/22
(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया